न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

वाद सं. 109/2022

कौशल्या देवी वगै0 –बनाम– धनेश्वरी देवी वगै0

(द.प्र.सं. की धारा 107)

आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3
21.05.23	अभिलेख उपस्थापित। डुमरी थाना अप्राथमिकी संख्या 61/2022 दिनांक 23.10.2022 द्वारा उभय पक्ष के सदस्यों को द.प्र.सं. की धारा 107 के तहत प्रतिबंधित करने से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में इस वाद को पंजीकृत करते हुए द.प्र. सं. की धारा 107 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ किया गया एवं उभय पक्ष के सदस्यों के नाम से नोटिस निर्गत किया गया। डुमरी पुलिस के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि डुमरी थाना कांड संख्या 55/22 एवं 56/22 के अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि दोनों कांड वादी पक्ष एवं अभियुक्त पक्ष आपस में सहोदर भाई एवं गोतनी हैं तथा दोनों पक्षों के बीच पूर्व में जमीनी विवाद चला आ रहा है। दिनांक 28.03.2022 को प्रथम पक्ष के द्वारा अपने जमीन पर नींव खुदाई का कार्य किया जा रहा था उसी बीच द्वितीय पक्ष के लोग वहाँ पहुँचकर नींव खुदाई कार्य से मना किये इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच गाली–गलौज, धक्का–मुक्की तथा मारपीट की घटना घटी है। दोनों पक्षों में चल रहे जमीन विवाद को लेकर पंचायती भी किया गया लेकिन दोनों पक्ष पंचायती को नहीं मानते हैं। उपरोक्त घटना को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है। विधि–व्यवस्था कायम रखने हेतु उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 107 द0प्र0सं0 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। निर्गत नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं प्रथम पक्ष के द्वारा कारणपृच्छा समर्पित किया गया। द्वितीय पक्ष अपना कारणपृच्छा समर्पित नहीं किए। प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा में उल्लेख किया गया है प्रथम पक्ष के लोग कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं। मौजा घुटवाली, खाता नं0 2, प्लॉट नं0 35, रकवा 09 डि0 जमीन प्रथम पक्ष के पिता गोपाल महतो को बिहार भू–दान यज्ञ कमिटि द्वारा दिनांक 10.12.1986 को हासिल है। गोपाल महतो के मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनके पुत्र पुर्णेन्दु महतो एवं लालचन्द महतो दखलकार हुए एवं वर्तमान में दखलकार हैं। घरेलु बंटवारा के अनुसार उक्त भूमि पर दखलकार हैं। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा द्वितीय पक्ष को शांति बनाए रखने के वास्ते बंध पत्र दाखिल करने का आदेश निर्गत करने हेतु न्यायालय से अनुरोध किया गया है। चूंकि, उभय पक्षों के बीच भूमि विवाद है, जिसका निष्पादन करना निम्न न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है, अपितू उभय पक्षों के बीच विधि–व्यवस्था शांत रहे इस बात को लेकर न्यायालय गंभीर है। अतः उभय पक्षों में शांति–व्यवस्था बहाल रहे तथा क्षेत्र में विधि–व्यवस्था शांत रहे इस बात को सुनिश्चित करने हेतु उभय पक्ष के सदस्यों को अगले एक साल के लिए शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु मो. 5000/–रू. के दो–दो प्रतिभूतियों के अविलंब न्यायालय में बन्ध पत्र दाखिल करने के आदेश दिया जाता है। आज प्रस्तुत वाद में सुनवाई की अंतिम तिथि है अतएव प्रस्तुत वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्षों को उपलब्ध कराऐं। लेखापित एवं संशोधित 21.05.23 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी। 21.05.23 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी।	

J.C. Press, GRD

31.03.23	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। न्यायालय के अगले तिथि को उभय पक्षों को सशरीर उपस्थित करायें। अभिलेख दिनांक 21.04.23 को उपस्थापित करें। 31/03/23 Executive Magistrate Dumri (Giridih)
21.04.23	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष क्रम संख्या 01 सशरीर उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। न्यायालय के अगले तिथि को उभय पक्षों को सशरीर उपस्थित करायें। अभिलेख दिनांक 12.05.23 को उपस्थापित करें। S. D. M. DUMRI
12.05.23	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 21.05.23 को उपस्थापित करें। 12.05.23 S. D. M. DUMRI
21.05.23	अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। आदेश की स्वच्छ टंकित प्रति संलग्न है। 21.05.23 S. D. M. DUMRI

Digitally signed by PREMLATA MURMU
Date: 2023.05.27 16:37:05 +05:30
Location: 192.168.1.4